सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.09.2023

20,000/– का ईनामिया गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बाबागंज स्टैण्ड से गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त रंजीत मौर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त का एक संगठित गिरोह था जो अपने भौतिक तथा आर्थिक लाभ हेतु मोटरसाईकिलों की चोरी किया करते थे। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 20,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रंजीत मौर्या पुत्र वासुदेव मौर्या नि0 चौड़ई पूरे सुकाली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–227/23, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

थानाध्यक्ष धानेपुर सत्येन्द्र वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 23.09.2023 को बहद ग्राम तिवारी पुरवा मौजा अहियाचेत से दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त–नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी त्रिवेनी पुत्र बाऊर कश्यप नि0 ग्राम बल्लीपुरवा मौजा बरूही बनपुरवा थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नीरज पुत्र अनिल नि0 सीरपुरवा मौजा अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–311/23, धारा 498ए,302 भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 प्रेमानंद मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 23.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

09 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना को0 नगर पुलिस ने 01, थाना को0 देहात पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 02, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 02 व थाना करनैलगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. समेश खटिक पुत्र भागवत खटिक नि0 नयनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 14 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–281/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।